न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2020 विविध

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर।

——अप्रार्थी

(प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 24 सीपीसी)

आदेश

दिनांकः—06.08.2020

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र ने दिनांक 12.3.2020 को स्वयं हाजिर आकर प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर में निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा.प.रा.अधि. प्रकरण संख्या 9/2019 सुरेन्द्र बनाम हरीसिह विचाराधीन है उक्त प्रकरण में पदस्थापित अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है जिसके कारण प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस लिए पत्रावली किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित की जावे आदि।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी का जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब पत्र क्रमांक रीडर/2020/1030 दिनांक 10.7.2020 से अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 18.3.2020 वास्ते मजीद बहस(संक्षिप्त पुनः बहस) सुनवाई हेतु मुकर्र थी लेकिन इसके पश्चात कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाये जाने के कारण पत्रावली तारीख पेशी में चल रही है जिसमें मुताबिक पत्र गत पेशी 24.7.2020 मुकर्र थी। प्रार्थी ने प्रकरण का स्थानांतरण चाहा है यदि प्रकरण स्थानांतरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण की स्थिति अंतिम स्टेज पर बहस हेतु मुकर्र थी लेकिन कोविड—19 के कारण अचानक प्रदेश में लोकडाउन लग गया जिसकी वजह से प्रश्नगत प्रकरण में बहस सुनी जानी संभव नहीं होने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दी गई जो परिस्थितनुसार उचित भी है। प्रार्थी का आरोप कि बहस नहीं सुनी गई निराधार व बैबुनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी की ओर से प्राप्त जवाब व राजकीय अधिवक्ता की मौखिक बहस के अवलोकन से पाया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर में निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा.प.रा.अधि. प्रकरण संख्या 09/2019 सुरेन्द्र बनाम हरीसिह विचाराधीन है जो अंतिम निस्तारण की स्टेज बहस पर है पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनने के पश्चात निर्णय किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रत्यार्थी पर यह आरोप लगाना कि बहस नहीं सुनी गई, सही नहीं हैं, क्योंकि प्रकरण पहले से ही अंतिम निस्तारण की स्टेज बहस पर था लेकिन कोविड–19 की वजह से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लोकडाउन लगा दिया जिसके कारण आगामी तारिख में बहस नहीं सुनी जा सकी। ऐसी स्थिति में पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी पी सी खारिज किया जाता है और पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में शीघ्र बहस सुनकर उक्त प्रकरण का गुण–अवगुण के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
हनुमानगढ